श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रं. एफ 28-01/2019/ए-16 :: मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 59 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में और संशोधन करता है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित किये जा चुके है, अर्थात् -

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में :-

1. नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :-

"**4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की कालावधि:-** धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण :- धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर जारी किया जाएगा।

अनु.क्र.	स्थापना का वर्ग	रजिस्ट्रीकरण फीस
(1)	(2)	(3)
1.	तीन कर्मचारियों तक वाली समस्त स्थापनाएं	रूपए दो सौ
2.	तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाएं	रूपए दो सौ पचास

परंतु सभी नियोजक, जिन्होने 15 फरवरी, 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिए है, इन नियमों के संशोधनों के पश्चात्, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेंगें।"

2. नियम 6 में परंतुक में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण" के स्थान पर, शब्द "रजिस्ट्रीकरण" स्थापित किया जाए।

No.F 28-01/2019/A-16 :: In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 59 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act 1958 (25 of 1958) the State Government hereby makes the following further amendment to the Madhya Pradesh Shops and Establishments rules 1959, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 22.02.2019 as required by sub section (3) of section 59 of the said Act, namely :-

// Amendment //

In the said rules,-

1. for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely :-

"**4. Period of validity of Registration Certificate.** - The Registration Certificate granted under sub-section (3) of section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by employer.

5. Renewal of Registration Certificate. - Every registration certificate issued under sub-section (2) of section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishments.

S.No.	Class of establishment	Registration fees
(1)	(2)	(3)
1.	All establishments having upto three employees	Rupees Two Hundred
2.	All establishments having more than 3 employees	Rupees Two hundred fifty.

Provided that all the employers who have obtained registration before 15th February, 2014 shall compulsorily obtain registration after the amendments of these rules.".

2. In rule 6, in the proviso, for the words "Registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मालसिंह, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.